प्रेस नोट
दिनांक 28.10.2025

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपदीय एण्टीरोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक-

गोण्डा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के राजपत्रित अधिकारी व एण्टी रोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इस दौरान टीमों ने गांवों, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम में टीमों ने महिलाओं/बालिकाओ को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय, और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आने-जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों पर सुझाव भी प्राप्त किए तथा फीडबैक फार्म भरवाकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित किया गया साथ ही महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है साथ ही एण्टीरोमियों स्क्वायड टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है-

112- पुलिस आपातकालीन सेवा
1090- वूमेन पावर हेल्पलाइन
1076- माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
108- एंबुलेंस सेवा
1930- साइबर अपराध हेल्पलाइन
1098- चाइल्ड हेल्पलाइन
102- स्वास्थ्य सेवा

इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों, जैसे अज्ञात कॉल या संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, बैंक संबंधी धोखाधड़ी से बचाव, और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी गई। टीमों द्वारा यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य न केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी है, ताकि वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। एण्टीरोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा जनपद के चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की गई तथा शोहदों/मनचलों को रेड कार्ड जारी कर सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी हरकत दोहराने पर उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.10.2024
जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गोवंशों की तस्करी करने का रु0 25,000/- के ईनामिया वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

कार्यवाहीः-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स०- 77/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशुक्रूरता अधि० से सम्बन्धित ईनामिया अभियुक्त सिराज अहमद पुत्र इखलाख अहमद नि0 ग्राम धुसुरा मदारपुर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीर नगर को गोण्डा ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 16/17.04.2025 की रात में थाना धानेपुर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री निर्भय नारायण सिंह मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु रात्रि गश्त व क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे, बाबागंज-इटियाथोक मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक जिसमें गोवंश लदे हुए थे का पीछा किया गया जिसमें मुठभेड़ के दौरान आरोपी अभियुक्त मो० शमशेर पुत्र मो0 इदिस नि0 ग्राम धुसरा थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया था, जिसे पुलिस हिरासत में इलाज के पश्चात गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । घटना के संबंध में बरामदगी के आधार पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान मुकदमे के संबंध में अब तक कुल 09 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। लेकिन अभियुक्त सिराज अहमद गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था, जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्रीमान विनीत जायसवाल द्वारा सिराज अहमद पुत्र इखलाख अहमद नि0 ग्राम धुसुरा मदारपुर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीर नगर पर रु0 25,000/- का पुरस्कार घोषित किया था। आज दिनांक 28.10.25 को इटियाथोक थानाध्यक्ष श्री कृष्ण गोपाल राय मय हमराह द्वारा सूचना के आधार पर आरोपी अभियुक्त सिराज अहमद पुत्र इखलाख अहमद को गोण्डा ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. सिराज अहमद पुत्र इखलाख अहमद नि0 ग्राम धुसुरा मदारपुर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीर नगर ।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु०अ०सं०-77/2024, धारा 3/5A/8 गोवध अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 कृष्ण गोपाल राय (थानाध्यक्ष इटियाथोक) मय टीम
02. उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव
03. हे०कां0 प्रमोद चौधरी
04. कां० धर्मेन्द्र कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 28.10.2025

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज प्रताड़ना के 04 आरोपी अभियुक्तगण में 01 को 03 वर्ष कारावास व 12,000/- अर्थदण्ड एवं 03 को 06 - 06 माह कारावास व 4,500/- 4,500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.04.2016 को श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय की तहरीर पर थाना इटियाथोक में मु0अ0सं0-75/2016, धारा 498ए, 323, 504, 506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 04 नामजद अभियुक्तों-01. संतोष कुमार तिवारी पुत्र राजेश्वरी प्रसाद, 02. राजेश्वरी प्रसाद तिवारी पुत्र स्वामी प्रसाद, 03. कौशल्या देवी पत्नी राजेश्वरी प्रसाद व 04. कु0 मीनू पुत्री राजेश्वरी प्रसाद के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 05.10.2016 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 28.10.2025 को थाना थाना इटियाथोक पर पंजीकृत दहेज प्रताड़ना संबंधी अपराध में सहायक अभियोजक श्री नित्यानन्द यादव, थाना इटियाथोक के पैरोकार कां0 राहुल वर्मा व कोर्ट मोहर्रिर कां0 पवन कुमार पटेल के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सिविल जज एफ0टी0सी0द्वितीय, गोण्डा महोदय श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्तगण 01. संतोष कुमार तिवारी पुत्र राजेश्वरी प्रसाद को 03 वर्ष कारावास व 12,000/- अर्थदण्ड एवं 02. राजेश्वरी प्रसाद तिवारी पुत्र स्वामी प्रसाद, 03. कौशल्या देवी पत्नी राजेश्वरी व 04. मीनू देवी पुत्री राजेश्वरी को 06 - 06 माह कारावास व 4,500/- 4,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. संतोष कुमार तिवारी पुत्र राजेश्वरी प्रसाद
02. राजेश्वरी प्रसाद तिवारी पुत्र स्वामी प्रसाद
03. कौशल्या देवी पत्नी राजेश्वरी
04. मीनू देवी पुत्री राजेश्वरी नि0 गण निबिहा परसापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-75/16, धारा 498ए, 323, 504, 506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.10.2025, मानीटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को हुई 04-04 वर्ष कारावास व प्रत्येक को रूपये 10,000/- 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनाकं 13.01.2019 को थाना मोतीगंज क्षेत्रान्तर्गत मारपीट होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मोतीगंज पर मु0अ0सं0- 06/2019 धारा 323, 324, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था, विवेचना करते हुए आरोपी अभियुक्तों 01. पाटनदीन वर्मा पुत्र स्व0 रामलोचन 02. नन्द कुमार वर्मा पुत्र पाटनदीन 03. रामविश्वास वर्मा पुत्र स्व0 आज्ञाराम व 04. बाबूराम वर्मा पुत्र स्व0 शोभाराम वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार गंगवार द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 15.03.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी महोदय श्री दुर्ग नरायन सिंह द्वारा थाना मोतीगंज पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक श्री बसन्त शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर का0 म0आ0 मनीषा व थाना मोतीगंज के पैरोकार हे0कां0 ओमप्रकाश की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 28.10.2025 को दोषी अभियुक्तों – 01. पाटनदीन वर्मा पुत्र स्व0 रामलोचन 02. नन्द कुमार वर्मा पुत्र पाटनदीन 03. रामविश्वास वर्मा पुत्र स्व0 आज्ञाराम व 04. बाबूराम वर्मा पुत्र स्व0 शोभाराम वर्मा को 04-04 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 10,000/- 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-
01. पाटनदीन वर्मा पुत्र स्व0 रामलोचन
02. नन्द कुमार वर्मा पुत्र पाटनदीन
03. रामविश्वास वर्मा पुत्र स्व0 आज्ञाराम
04. बाबूराम वर्मा पुत्र स्व0 शोभाराम वर्मा नि0 गण ग्राम करौंदा मूसापुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-
01. मु0अ0सं0- 06/2019, धारा 323, 324, 308, 504, 506 भादवि थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.10.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 01 हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल 01 अदद लोहे की रॉड बरामद-

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 486/2025 धारा 191(2),191(3),190,103(1),115(2),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी हत्याभियुक्त गदरे उर्फ सोन बहादुर पुत्र आशाराम को गंगाधाम रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद लोहे की रॉड बरामद की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 23.10.2025 को वादी श्री रामहेत पुत्र रामधीरज ग्राम बेसिया चैन थाना को0 देहात, गोण्डा ने थाना कोतवाली देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि पटाखा फोड़ने के विवाद को लेकर विपक्षीगण ने उनके चाचा रामतेज पुत्र रघुनाथ को लाठी डन्डा व रॉड से काफी मारे पीटा जिससे उन्हें गंभीर चोटे आ गई, उन्हे बचाने जगदम्बा पुत्र रामतेज व बजरंगी पुत्र राम सहाय पहुँचो तो सभी विपक्षीगण ने उन लोगो को भी गालियाँ व धमकी देते हुये लाठी डण्डा, रॉड से मारा पीटा जिससे जगदम्बा व बजरंगी को चोट आयी हैं, जिन्हे जिला अस्पातल में दवा इलाज हेतु भर्ती कराया गया। जहाँ इलाज के दौरान उनके चाचा रामतेज की मृत्यु हो गई है । लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए इसके शीघ्र अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे । जिसके पश्चात दिनांक 24.10.2025 को ही थाना को0 देहात पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ विरेन्द्र 2. शेषराज व 3. दुखहरन नि०गण ग्राम बेसियाचैन थाना को0 देहात गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । इसी क्रम में आज दिनांक 28.10.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात मय हमराह उक्त अभियोग से संबंधित शेष अभियुक्तों की तलाश/गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में रवाना थे, सूचना पर आरोपी अभियुक्त गदरे उर्फ सोन बहादुर पुत्र आशाराम को गंगाधाम रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद लोहे की रॉड बरामद की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. गदरे उर्फ सोन बहादुर पुत्र आशाराम नि0 कटेला तालाब थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 486/2025 धारा 191(2),191(3),190,103(1),115(2),352,351(3) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-
01 एक अदद लोहे की रॉड

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. प्र0नि0 श्री संजय कुमार सिंह,
2. कां0 संजय कुमार,
03. कां0 रोहित सिंह,
04. म0कां0 सविता रावत
05. म0कां0 तुषा पाण्डेय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक - 28.10.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 484/2025 धारा 109(1),115(2),352,351(3) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त बृजेश शुक्ला पुत्र जमुना प्रसाद शुक्ला को ग्राम पण्डरी शंकर मोड़ पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.10.2025 को वादी हिमांशू पाण्डेय पुत्र श्री शारदा प्रसाद पाण्डेय ग्राम पम्पापुर मौजा मुण्डेरवा कला थाना को० देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 20.10.2025 को वादी और उसके भाई घर पर साफ सफाई कर रहे थे तभी विपक्षीगण पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डन्डा से लैस होकर उनके घर चढ़ आये और उन्हे गाली गलौज देने लगे और वादी व उसके भाइयों को जान से मारने की नीयत से लाठी - डण्डा से मारापीटा जब उसका भाई राहुल जान बचाने घर में भागा तो सभी विपक्षी पीछा करते हुए घर में राहुल को लाठी-डण्डों से मारा पीटा जिससे वह बेहोश होकर गिर गया । वादी की तहरीर पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 28.10.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त बृजेश शुक्ला पुत्र जमुना प्रसाद शुक्ला को ग्राम पण्डरी शंकर मोड़ पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बृजेश शुक्ला पुत्र जमुना प्रसाद शुक्ला नि0 ग्राम पम्पापुर मौजा मुण्डेरवा कला थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 484/2025 धारा 109(1),115(2),352,351(3) बी0एन0एस0 थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. वरि0उ0नि0 श्री कमल शंकर चतुर्वेदी मय टीम
02. हे0कां0 धर्मेन्द्र यादव
03. हे0कां0 रमेश कुमार यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।